राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2250 /2020 दिनांक :27.11.2020

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11.(3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 सपठित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम 91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनाँक 01.04.2000 से **दो वर्षो** के प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम **30 दिवस** के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अत: निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का **नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है।** जिसकी प्रविष्टी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है ।

क्र. सं.	*नाम अधिकारी एवं पदनाम*	*समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या*	*ब्लॉक वर्ष*	*समर्पित अवकाश की दिनांक*
1	**सुश्री ममता रोहिला (RJ1049),** अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-12, जयपुर महानगर-I	*30*	*2020 - 2022*	*06/11/20*

आज्ञा से,

27/11/20

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/37/2016/ 5417 दिनांक 27.11.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एंव विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, **जयपुर महानगर -I**
3. **सुश्री ममता रोहिला (RJ1049),** अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-12, जयपुर महानगर-I

27/11/20

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

26.11.20